उत्तर प्रदेश सरकार
कर एवं निबन्धन अनुभाग–5
संख्या क0नि0–5–6469–11–2002–500 (35)/2000
लखनऊ, दिनांक 12 नवम्बर, 2002
अधिसूचना
आदेश

प0आ0–711

उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में समय–समय पर यथासंशोधित भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (अधिनियम संख्या 2 सन् 1899) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल दिनांक 8 जनवरी, 2001, से उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30 सन् 1974 द्वारा यथा संशोधित और पुनः अधिनियमित उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 (राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 11 सन् 1973) के अधीन गठित किसी विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 6 सन् 1976) के अधीन गठित किसी औद्योगिक विकास प्राधिकारी, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम, 1965 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1966) के अधीन स्थापित उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् और कम्पनी अधिनियम, 1956 (अधिनियम संख्या 1 सन् 1956) के अधीन रजिस्ट्रीकृत उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम द्वारा किसी व्यक्ति के पक्ष में किसी स्थावर सम्पत्ति के अन्तरण के लिए निष्पादित हस्तान्तरण–पत्र के लिखत पर उक्त अधिनियम की अनुसूची एक–ख के अनुच्छेद 23 के खण्ड (क) के अधीन प्रभार्य शुल्क हस्तान्तरण–पत्र के ऐसे लिखित में दिये गये प्रतिफल की धनराशि से अधिक की धनराशि पर प्रभार्य शुल्क की सीमा तक छूट प्रदान करते हैं।

परन्तु इस अधिसूचना द्वारा दी गयी छूट उन्हीं विलेखों पर प्रभावी होगी जो उक्त निकायों द्वारा उन आवंटियों के पक्ष में निष्पादित किये गये हों जिन्होंने आवंटित स्थावर सम्पत्ति के विरुद्ध समस्त देयों का भुगतान दिनांक 31 मार्च, 2003 को या उसके पूर्व कर दिया हो।

आज्ञा से,
ह0अस्पष्ट
विनोद मल्होत्रा,
प्रमुख सचिव।

The Governor is pleased to order in publication of the following English translation of Government notification no. K.N. 5-6469/XI-2002-500 (35)-2000, dated November 12, 2002 for general information :

`No. K.N.-5-6469/XI-2002-500 (35)-2000
Lucknow, Dated November 12, 2002
Notification

Order

In exercise of the powers under clause (a) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (Act no. 2 of 1899) as amended from time to time in its application to Uttar Pradesh, the Governor is pleased to remit with effect from january 8, 2001 the duty chargeable under clause (a) of Article 23 of Schedule 1-B of the said Act on the instrument of conveyance executed by a Development Authority constitued under the Uttar Pradesh Urban Planning and Development Act, 1973 (President Act no. 11 of 1973) as amended and re-enacted by U.P. Act no. 30 of 1974, an Industrial Development Authority Constitued under the Uttar Pradesh Urban Pnanning and Development Act, 1973 (President Act no. 11 of 1973) as amended and re-enacted by U.P. Act no. 30 of 1974, an industrial Development Authority constituted under the Uttar Pradesh Industrial Area Development Act 1976, (U.P. Act no. 6 of 1976) the Uttar Pradesh Awas Evam Vikas Parishad Estabilshed under the Uttar Pradesh Awas Evam Vikas Parishad Adhiniyam, 1965 (U.P. Act no. 1 of 1966), and the Uttar Pradesh State Industrial Development Corporation registered under the Companeis Act, 1956 (Act no. 1 of 1956) in favour of a person for transfer of an immovable property, to the extent of duty chargeable on the amount that exceeds the amount of consideration set forth that in such instrument of conveyance :

Provided that the exemption granted by this notification shall be effective on the Instrument executed by the said mentioned bodies in favour of the allottee who have paid the intire dues against the allotted immovable property on or defore March 31, 2003.

By order,
Sd/- Illegible
VINOD MALHOTRA,
Pramukh Sachiv.